A7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 13/2022
हरिराम उम्र 60 साल पुत्र हनुमान, जाति मेघवाल, निवासी हेजमपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
——अपीलान्ट

बनाम

1. उम्मेद पुत्र रामेश्वरसिंह, जाति जाट, निवासी हेजमपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. सुनिल पुत्र रामेश्वरसिंह, जाति जाट, निवासी हेजमपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अ0 धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ आदेश तहसीलदार झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी हरिराम बनाम उम्मेद वगैरह अ0 धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम मु0न0 01/2019 तारीख फैसला दिनांक 29.12.2021

——

1. श्री रोताश कुमार कुलहरी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 22.09.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 29.12.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.12.2021 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। ग्राम हेजमपुरा में जमीन हाल ख0न0 107 रकबा 0.1900 हैक्टर, ख0न0 138 रकबा 0.5200 हैक्टर, ख0न0 254 रकबा 0.0200 हैक्टर, ख0न0 255 रकबा 0.0300 हैक्टर, ख0न0 256 रकबा 2.4100 हैक्टर, ख0न0 257 रकबा 1.6400 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.8100 हैक्टर स्थित है व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 के अनुसार जमीन हाल ख0न0 138 रकबा 0.5200 हैक्टर अपीलान्ट के हिस्से में आई है व अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट दिनांक 30.06.2019 को अपनी जमीन हाल ख0न0 138 में जांटी छांगने गया तो रेस्पोडेन्ट ने धमकी दी कि आपका इस जमीन पर कोई लेना देना नही है यह जमीन हमने तुम्हारे बाप हनुमान के [illegible] दी थी व आपको जमीन नही देंगे व अपीलान्ट की जमीन पर कब्जा [illegible] द्वारा अपीलान्ट की अपील इस आधार पर खारीज कर दी कि रेस्पोडेन्ट [illegible]राजियात पर 12 साल से अधिक समय से कब्जा काश्त है। 12 साल बाद में आने से इस प्रकरण को नही [illegible]कते व अपीलान्ट की ओर से किसी भी बात को नही सुना गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 कहती है कि खातेदारी की जमीन जो अनुसुचित जाति या जन जाति की है उस पर किसी भी प्रकार का बेचान, गिरवी आदि प्रतिबन्धित है व उसको सामान्य जाति का व्यक्ति कब्जा व काश्त करने पर अतिक्रमी की श्रेणी में आयेगा। मगर अदालत द्वारा विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा केवल उन्ही पक्षकारो को फरीक बनाया गया हैं जो अपीलान्ट की जमीन पर बतौर अतिक्रमी काबिज है अदालत मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:09 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा यह कहना गलत है कि रेस्पोडेन्ट के पूरे परिवार को फरीक बनाया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 29.12.2021 खारीज फरमाया जाकर ग्राम हेजमपुरा में स्थित जमीन हाल ख0न0 138 रकबा 0.5200 हैक्टर पर काबिज रेस्पोडेन्ट को अतिक्रमी होने से बेदखल किया जाकर अपीलान्ट को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम हेजमपुरा में जमीन हाल ख0न0 107 रकबा 0.1900 हैक्टर, ख0न0 138 रकबा 0.5200 हैक्टर, ख0न0 254 रकबा 0.0200 हैक्टर, ख0न0 255 रकबा 0.0300 हैक्टर, ख0न0 256 रकबा 2.4100 हैक्टर, ख0न0 257 रकबा 1.6400 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.8100 हैक्टर स्थित है व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 के अनुसार जमीन हाल ख0न0 138 रकबा 0.5200 हैक्टर अपीलान्ट के हिस्से में आई है व अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट दिनांक 30.06.2019 को अपनी जमीन हाल ख0न0 138 में जांटी छांगने गया तो रेस्पोडेन्ट ने धमकी दी कि आपका हम जमीन पर कोई लेना देना नही है यह जमीन हमने तुम्हारे बाप हनुमान के गिरवी रख दी थी व आपको जमीन नही देंगे व अपीलान्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया हैं। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की अपील इस आधार पर खारीज कर दी कि रेस्पोडेन्ट आराजियात पर 12 साल से अधिक समय से कब्जा काश्त है। 12 साल बाद में आने मे हम प्रकरण को नही सुन सकते व अपीलान्ट की ओर से किसी भी बात को नही सुना गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 कहती है कि खातेदारी की जमीन जो अनुसुचित जाति या जन जाति की है उस पर किसी भी प्रकार का बेचान, गिरवी आदि प्रतिबन्धित है व उसको सामान्य जाति का व्यक्ति कब्जा व काश्त करने पर अतिक्रमी की श्रेणी में आयेगा। मगर अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा केवल उन्ही पक्षकारो को फरीक बनाया गया हैं जो अपीलान्ट की जमीन पर बतौर अतिक्रमी काबिज है अदालत मातहत द्वारा यह कहना गलत है कि रेस्पोडेन्ट के पूरे परिवार को फरीक बनाया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 29.12.2021 खारीज फरमाया जावे एवं ग्राम हेजमपुरा में स्थित जमीन हाल ख0न0 138 रकबा 0.5200 हैक्टर पर काबिज रेस्पोडेन्ट को अतिक्रमी होने से बेदखल किया जाकर अपीलान्ट को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 2 के विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:09 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट्स के तर्कों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के गत खसरा नं. 46 है जिसके नये खसरा नम्बर 138 है। अपीलान्ट की यह अपील 12 साल से अधिक अवधि के कारण धारा 183 बी के प्रावधानों के तहत अपीलान्ट 12 साल से अधिक अवधि के कारण यह अपील पेश नही कर सकता है। अपील मियाद बाहर है। विवादित भूमि के मौके पर मेरा अनुमत कब्जा है। रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के मौके पर 7 जनवरी 1999 से काबिज है। रेस्पोडेन्ट को अतिक्रमी नही माना जा सकता है। रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि के मौके पर दस्तावेज के आधार पर कब्जा है। अपीलान्ट बेदखली हेतु नियमित वाद दायर कर सकता है। सरकार चाहे तो मुझ रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है। अपीलान्ट को मुझ रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने का कोई हक

नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम हेजमपुरा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 के अनुसार जमीन हाल ख0न0 138 रकबा 0.5200 हैक्टर अपीलान्ट के हिस्से में आई है व अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट मेघवाल जाति का है जो कि अनुसचित जाति की श्रेणी मे आती है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति है को कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। जहां तक अपील के 12 साल से अधिक होने के कारण मियाद बाहर होने का प्रश्न है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि रिकार्ड मे स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.12.2021 निरस्त किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:09 IST
Reason: SelfAttested